37 /13

R-35

अवधलाल गुप्ता तनय पन्नालाल गुप्ता निवासी ग्राम अमहा टोला तह0 सरई जिला सिंगरौली म0प्र0 --- आवेदक

बनाम

बलभद्र प्रसाद गुप्ता तनयश्री गंगा प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम अमहाटोला ~~तहसील~~ सरई जिला सिंगरौली म0प्र0 --- अनावेदक

दर्ज आज /11/13

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3748–तीन/13 जिला – सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.6.14	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा के प्रकरण कमांक 177/अंतरण/12–13 में पारित आदेश दिनांक 4–10–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, सरई जिला सिंगरोली के न्यायालय से प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरण हेतु संहिता की धारा 29 के तहत अपर आयुक्त के समक्ष आवेदन दिया गया । अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा उभयपक्ष को सुनकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार, तहसील देवसर जिला सिंगरोली के न्यायालय में अंतरित करने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की है सरई तहसीलदार श्री राजेन्द्र सिंह बघेल जो पूर्व में सरई में पदस्थ थे उनके न्यायालय से ही आवेदक ने अन्य न्यायालय में अंतरण हेतु आवेदन दिया था जो अपर आयुक्त ने स्वीकार किया । श्री राजेन्द्रसिंह बघेल की ही पदस्थापना अब देवसर में स्थाई रूप से करदी गई है । इस कारण यदि उनके न्यायालय से प्रकरण अंतरित नहीं किया गया तो आवेदक को न्याय से वंचित होना पड़ेगा । उनके द्वारा निगरानी आवेदन में प्रकरण को तहसीलदार, देवसर एवं सरई के अलावा अन्य तहसीलदार के सुनवाई हेतु अंतरित किए जाने का अनुरोध किया गया है । 3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रकरण में सुनवाई दिनांक को 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

4— अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 29 के तहत प्रस्तुत अंतरण आवेदन में कोई आधार नहीं दिया गया है । आवेदक येनकेन प्रकारेण प्रकरण का निराकरण नहीं होना देना चाह रहे हैं और जानबूझकर प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं ।

5— आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए आधारों तथा अनावेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार, सरई के न्यायालय से तहसीलदार, देवसर के न्यायालय में प्रकरण अंतरित करने का आदेश दिया था । आवेदक के अनुसार सरई, तहसीलदार श्री राजेन्द्रसिंह बघेल की ही पदस्थापना अब देवसर में स्थाई रूप से करदी गई है । प्रकरण में जो अद्यतन स्थिति उत्पन्न हुई है उसके अनुसार सरई तहसीलदार, राजेन्द्र सिंह जिनके न्यायालय से प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरण हेतु आवेदक द्वारा आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था । चूंकि उनकी पदस्थापना सरई, तहसीलदार के पद से अन्यत्र की जा चुकी है, इस स्थिति को देखते हुए इस प्रकरण में यह आदेश दिए जाते हैं तहसीलदार, सरई द्वारा ही उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण किया जायेगा । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अभिलेख प्राप्त होने पर दो माह के अंदर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें ।

उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर